147

समक्ष – माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर, केम्प सागर

Fir/3545/II-15

राधेश्याम बल्द दुलीचंद (मृत)

वारसान –

1. **श्रीमति कांति तिवारी** विधवा स्व. राधेश्याम तिवारी
2. **संतोष** बल्द राधेश्याम तिवारी
3. **नितिन** बल्द राधेश्याम तिवारी

सभी निवासी – ग्राम पटना ककरी, तहसील रहली, जिला सागर (म.प्र.)

..... **पिटीशनर्स**

//विरुद्ध//

श्रीमति कमलाबाई पति परसराम तिवारी
निवासी – ग्राम पटना ककरी, तहसील रहली, जिला सागर (म.प्र.)

..... **अनावेदिका**

रिवीजन पिटीशन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

पिटीशनर्स न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा निगरानी प्रकरण क्र. 1113/अ–12 सन् 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2015 से परिवेदित होकर आदेश की वैधानिकता एवं औचित्य के विरुद्ध निम्नांकित आधारों पर यह निगरानी पेश करते हैं :–

निगरानी से संबंधित तथ्य संक्षप में इस प्रकार हैं – कि विचारण न्यायालय तहसीलदार रहली, जिला सागर के समक्ष ग्राम पटना ककरी, तहसील रहली की भूमि खसरा नम्बर्स 143/5 एवं 143/7 के सीमांकन एवं मेड़ कायमी के प्रकरण क्रमांक 01अ/9 सन् 2005–06 तथा प्रकरण क्रमांक 03अ/9 सन् 2005–06 विचाराधीन थे, जिस पर तहसीलदार, रहली ने इकजाई आदेश दिनांक 30.06.2007 को पारित किया।

इस आदेश से परिवेदित होकर अनावेदिका ने श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी रहली के समक्ष धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील क्रमांक 30अ/9, सन् 2006–07 प्रस्तुत की। इसी बीच अनावेदिका ने एक शिकायत आवेदन पत्र कलेक्टर, सागर को देकर आमरण अनशन पर बैठने का अल्टीमेटम दे दिया। श्रीमान् कलेक्टर, सागर ने शिकायत आवेदन को भू–राजस्व संहिता के समस्त प्रावधानों को अनदेखा करते हुए आवेदन को स्वयमेव निगरानी क्रमांक 08/अ–12/2007–08 पंजीबद्ध कर लिया और दिनांक 10.07.2008 को अनावेदिका के पक्ष में आदेश पारित कर दिया।

विद्वान कलेक्टर के क्षेत्राधिकारहीन स्वयमेव निगरानी प्रकरण पंजीबद्ध करने और निर्ण दिनांक 10.07.2008 के विरुद्ध पिटीशनर्स ने विद्वान अतिरिक्त कमिश्नर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की परन्तु अति. कमिश्नर ने कानूनी प्रावधान की सर्वथा असंगत व्याख्या करते हुए दि. 09.09.2015 को आदेश पारित कर दिया, अतः यह निगरानी पेश है :–

क्रमशः 2 ....

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 3575/ II/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	राधेश्याम विरुद्ध कोमल० कार्यवाही तथा आदेश कमलाबाई	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16	यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्र०क्र० 1113/अ-12/07-08 में पारित आदेश दिनांक 9.9.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एस०के० पाठक को सुना गया। उनके द्वारा अपने तर्कों में वही दुहराया गया जो निगरानी मेमो में अंकित है। प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं प्रश्नाधीन आदेश का परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद भूमि खसरा क्र. 143/5 एवं 143/7 के सीमांकन एवं मेड़ कायम करने से संबंधित है। तह० रहली द्वारा प्र०क्र० 7 एवं 3/अ-12/05-06 दोनों में दिनांक 30.6.07 को आदेश एक साथ पारित किया गया। तह० के इस आदेश के विरुद्ध अपील क्र० 30/अ-12/06-07 दायर कार्यवाही प्रारंभ की गई। इसी बीच शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रकरणों को स्व० निगरानी में लेकर कार्यवाही प्रारंभ की और स्व०निग०प्र० क्रमांक 8/अ-12/07-08 में पारित आदेश दिनांक 10.7.08 से उक्त विवादित भूमियों की मेड़ कायम करने के आदेश अभिलेख के आधार पर दिए गये। जिसके विरुद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई जहां अपर आयुक्त ने विस्तृत विवेचना करते हुए कलेक्टर के आदेश को	

R. 3575/III/15

भाग

स्थान तथा दिनांक	राधेश्याम आदि कार्यवाही तथा आदेश कमलाबाई	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	यथावत रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश दिनांक 9-9-15 के विरुद्ध निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई।	
	मेरे द्वारा प्रकरण में विद्यमान विवाद के संबंध में आक्षेपित आदेश दिनांक 9-9-15 का अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य रूप से यह आक्षेप लिया गया है कि कलेक्टर को स्वप्रेरणा निगरानी सुनने का अधिकार नहीं था तो इस संबंध में संहिता की धारा "54" के संबंध में म०प्र० राजपत्र दिनांक 30 दिसम्बर 2011 में पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि 54, इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी समस्त कार्यवाहियां जो म०प्र० भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2011 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण में लंबित हो, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसी प्रकार सुनी जावेगी तथा विनिश्चित की जावेगी मानो यह संशोधन अधिनियम पारित ही न हुआ हो।"	
	उपरोक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि वर्ष 2007-08 में कलेक्टर को पुनरीक्षण सुनने की अधिकारिता थी। शेष तथ्यों के संबंध में अपर आयुक्त द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में विस्तृत एवं विधिक विवेचना कर सम्यक गुणदोष पर आदेश पारित किया गया है जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इसके साथ ही आवेदक गण द्वारा अन्य कोई विधिक अभिलेखीय आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर विचार किया जा सके या जिससे उनकी ओर से उठाये गये तथ्यों का समर्थन होता हो।	
	अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 9-9-15 स्थिर रखा जाता है तथा निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्र० दु०नि०हो।	
	[signature]	
	8/3/17	